न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2018 G.C.M.S. No. 2018/00078 दर्ज दिनांक : 22.01.2018

अपीलार्थिगण:

1. सरदारखां पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति पठान मुसलमान निवासी ग्राम जाखोड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रमेशकुमार पुत्र श्री मगराज माली निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2016 बअनवान रमेशकुमार बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री कमलेश चौहान विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री रमेश चौधरी, श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 30.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2016 बअनवान रमेशकुमार बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा जाखोड़ा, तहसील सुमेरपुर में वर्तमान खसरा नम्बर 939 रकवा 0.30 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल की भूमि आई हुई स्थित है, जिस पर अपीलार्थी का संवत् 2049 से लगातार आज दिन तक मौके पर कब्जा काश्त कायम है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील में लगातार इन्द्राज हो रखा है, जिसकी प्रमाणित प्रतियां वास्ते साक्ष्य संलग्न है। अपीलार्थी ने मौके पर उक्त भूमि पर खेती कर जीवन भर की कमाई लगाकर अपनी मेहनत से उक्त भूमि को उपजाऊ योग्य बनाया है। जिसके रहते आज भी मौके पर अपीलार्थी की रायड़ा फसल खड़ी है। उक्त खसरा नम्बर 939 में से कभी भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 या उसके परिवार द्वारा आना–जाना नहीं रहा है। अर्थात् उक्त भूमि का कभी रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग नहीं किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये, सुनवाई किये ही प्रार्थी का प्रार्थना

Scanned with OKEN Scanner

पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि में से रास्ता घोषित कर दिया है। चूंकि वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलार्थी की फसल खड़ी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित व पीड़ित पक्षकार है। इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की भौतिक रूप से कोई जांच नहीं की गई एवं न ही अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा एवं मौके के आस–पड़ौस द्वारा भी पूछताछ की गई, साथ ही अपने कार्यालय में उपलब्ध उक्त खसरे का राजस्व रेकर्ड का भी कोई सत्यापन नहीं किया। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्णतया राजस्व रेकर्ड के प्रतिकूल जाकर पारित किया है, जो काबिले खारिज है। मौजा जाखोड़ा के वर्तमान खसरा नम्बर 939 के गत खसरा नम्बर 549 मीन थे। खसरा नम्बर 549 मीन जो राजस्व रेकर्ड में बड़ा रकबा था, जिसके बाद में नये खसरा नम्बर 932, 933, 934, 935, 936 व 938 भी बने है। जिन तमाम भूमि रकबा पर अपीलार्थी व उसके पिता का लगातार कब्जा काश्त रहा है। जिसके रहते खसरा नम्बर 932, 933, 934, 935, 936 व 938/1 की कृषि भूमियां सन् 1976 में आवंटन होकर अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में आज भी बतौर खातेदारी दर्ज है। अपीलार्थी की उक्त वर्णित खातेदारियों से जुड़ता खसरा नम्बर 939 है, जो गत खसरा नम्बर 549 मीन का ही भाग है, पर भी अपीलार्थी व उसके पिता का वक्त आवंटन से पूर्व लगातार कब्जा काश्त कायम है। जिसका खसरा परिवर्तनशील में लगातार इन्द्राज दर्ज है। लेकिन खातेदारी दर्ज नहीं हुई एवं वर्तमान में सिवायचक चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा मौके पर लगातार खेती की जा रही है, जिसके रहते वर्तमान में आज भी मौके पर अपीलार्थी की रायड़ा फसल खड़ी है। इसलिए खसरा नम्बर 549 मीन पर प्रथम अधिकार अपीलार्थी का बनता है। लेकिन पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर अपीलार्थी का उक्त भूमि पर लगातार चल रहे कब्जे काश्त को नजर अंदाज करते हुए जांच रिपोर्ट में उल्लेख तक नहीं किया है। इस तरह राजस्व कर्मचारियों की प्रार्थी के साथ मिली भगती के रहते राजस्व रेकर्ड की वस्तु स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं की, जिससे अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपीलार्थी को बिना सुनवाई के अवसर दिये ही एकतरफा कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के मूलभूत अधिकारों का हनन है। इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। उक्त भूमि खसरा नं. 939 रकबा 0.30 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार सिवायचक दर्ज है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के जरिये उक्त सिवायचक भूमि में से खसरा नं. 940 रकबा 0.70 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल में आने–जाने हेतु रास्ते

Scanned with OKEN Scanner

की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत किसी खातेदार अभिधारी की भूमि से ही रास्ता दिलवाया जा सकता है, सिवायचक भूमि से नहीं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र अनुसार सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 939 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से लम्बाई में 40 मीटर व चौड़ाई में 7 मीटर कुल 280 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो आदेश पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सिवायचक भूमि में रास्ता घोषित करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो आदेश कानून की नजर में शून्य व अवैद्य आदेश की तारीफ में आता है। ऐसे आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में खसरा नम्बर 939 से रास्ता का उपयोग–उपभोग करना बताया है। जबकि उक्त भूमि पर लगातार अपीलार्थी व उसके परिवार द्वारा खेती की जा रही है और वर्तमान में मौके पर अपीलार्थी की रायड़ा फसल खड़ी है। इसलिए रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा रास्ते के रूप में उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करना बताया है, वह पूर्णतया गलत है। दूसरा यदि उपयोग–उपभोग उनके कथनानुसार मान भी लिया जाये तो इजमेन्टरी राईट्स के तहत रास्ते का सुखाधिकार घोषित करने का धारा 251 (2) आर. टी. एक्ट के तहत सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त करने योग्य है। खसरा नं. 939 की भूमि में लगातार अपीलार्थी व उसके परिवार द्वारा खरीफ व रबी की खेती की जाने से उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर दिनांक 02.01.2018 को आकर अपीलार्थी को कहा कि इस फसल के बाद बुआई मत करना, क्योंकि आपकी इस जमीन से एस.डी.ओ. साहब, सुमेरपुर द्वारा रमेश कुमार माली को रास्ता घोषित करने का आदेश दिनांक 11.02.2017 को किया गया है। इसलिए फसल खाली होने के बाद हम उसे मौके पर आदेशानुसार रास्ता देकर राजस्व रेकर्ड में इन्दाज करेंगे। जिस पर अपीलार्थी ने कहा कि मौके पर वर्षों से उक्त भूमि पर मैं, मेरे परिवार सहित खेती कर रहा हूँ। रमेश कुमार का इस भूमि से कभी आना–जाना नहीं रहा है। एस.डी.ओ. कोर्ट, सुमेरपुर द्वारा मुझ अपीलार्थी व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नोटिस वगैरह रमेश कुमार को रास्ता देने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ है, न ही ऐसा मेरी जानकारी में है। इस कारण उक्त आदेश की मुझे पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा बताने के बाद दिनांक 05.01.2018 को अपीलार्थी सुमेरपुर जाकर आदेश की नकल हेतु आवेदन संख्या 7 पेश किया, जो नकले तैयार होकर दिनांक 08.01.2018 को प्राप्त हुई। जिनको पढ़ने पर उक्त अपीलाधीन आदेश

Scanned with OKEN Scanner

की सर्वप्रथम जानकारी हुई, जिस जानकारी से अन्दर म्याद अपीलार्थी की अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के सम्बन्ध में अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जबकि उक्त खसरा नं. 939 जो अपीलार्थी की खातेदारी से जुड़ता हुआ है, जिस पर सन् 1976 से लगातार अपीलार्थी व उसके पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसका सम्वत् 2049 से लगातार आज दिन तक खसरा परिवर्तनशील में कब्जा व फसल के इन्द्राज अपीलार्थी के नाम दर्ज है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर रायड़ा की फसल खड़ी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त खसरा नं. 939 जो अपीलार्थी की कब्जे की भूमि से रास्ता घोषित करने का आदेश दिया है। उस आदेश से अपीलार्थी व्यथित व पीड़ित पक्षकार होने से उक्त अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने का अधिकार रखता है। इस कारण अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना काननून आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः उक्त अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील प्रस्तुत करने व म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 2 सरकार के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए सिवायचक भूमि में से पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 को स्वीकार कर अपीलाधीन ग्राम जाखोडा की आराजी खसरा संख्या 939 राजकीय सिवायचक भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया। अपीलांट उक्त प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं।
2. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिलवाने प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी पक्षकार नहीं था एवं न्यायालय द्वारा प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जबकि उक्त खसरा नंबर 939 जो प्रार्थी की खातेदारी से जुड़ता हुआ है। जिस पर सन् 1976 से लगातार प्रार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर रायड़ा की फसल खड़ी हैं। अतः अपीलांट

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन आदेश से व्यथित व पीड़ित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम जाखोडा की सिवायचक आराजी खसरा संख्या 939 में से अपीलाधीन आदेश में से गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट स्वयं यह स्वीकार करता है तथा उपलब्ध भू–अभिलेख से भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट का यह कथन कि वह खसरा संख्या 339 पर बतौर अतिक्रमी काबिज है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अतिक्रमी किसी प्रकार के अधिकार की हैसियत नहीं रखते हैं तथा मात्र अतिक्रमी होने से अपीलांट को हस्तगत प्रकरण में पीड़ित व प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलाधीन आदेश एवं अपीलाधीन आराजी से अपीलांट हितबद्ध नहीं होना, अपीलाधीन भूमि राजकीय सिवायचक भूमि होने तथा अपीलांट द्वारा उस पर अतिक्रमी की हैसियत से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने एवं राजकीय भूमियों पर अतिक्रमियों को ऐसी भूमियों में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जाने से अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना व इसके फलस्वरूप अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होने की अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट अंतर्गत धारा 96 सीपीसी बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner